छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 677/2008

1. श्री युगल तिवारी, — *अपीलार्थी*
ग्राम—पुरपुरा, पोस्ट—खोखरा,
जिला—जांजगीर—चांपा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय प्राचार्य, सरस्वती शिक्षण समिति, गोधना,
जिला— जांजगीर—चांपा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 18 मई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री युगल तिवारी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 09.10.2007 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्राचार्य, सरस्वती शिक्षण समिति, गोधना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर—चांपा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर दिनांक 02.05.2008 को आदेश पारित कर प्रति अपीलार्थी को निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जावे, किन्तु उसके बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में प्रति अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध पांच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया गया। प्रस्तुत उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि वे शिक्षण समिति द्वारा संचालित विद्यालय के प्राचार्य है तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी शिक्षण समिति द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है इसलिए उक्त जानकारी नहीं दी जा सकी, अतः उनका उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होने के कारण उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है।

3/ प्रकरण में प्रति अपीलार्थी शिक्षण समिति के सचिव के विरूद्ध पच्चीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था तथा निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जावे। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उन्हें उपलब्ध कराई गई जानकारी अपूर्ण एवं भ्रामक है। प्रकरण में प्रति अपीलार्थी शिक्षण समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा विद्यालय के प्राचार्य द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में एक—दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रकरण में उभय पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रति अपीलार्थी समिति में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बरती जा रही है, अतः कलेक्टर, जॉजगीर—चांपा को अनुशंसा की जाती है कि उनके द्वारा उक्त शिक्षण समिति का विशेष आडिट कराया जावे तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

साथ ही पंजीयक फर्म एवं सोसायटी को निर्देश दिये जाते है कि प्रति अपीलार्थी समिति जो फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अधीन पंजीकृत है, का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विशेष आडिट कराया जाकर तत्संबंधी प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया जावे।

4/ प्रकरण में प्रति अपीलार्थी समिति के सचिव को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है, अतः उनके विरूद्ध शास्ति आरोपित करना उचित प्रतीत होता है, फिर भी उनके प्रति थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित शास्ति को कम किया जाकर अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत राशि 10,000/– रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत शिक्षण समिति की ओर से राशि 1000/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

5/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com